मंथन कमांक 28

शोषण रोकने में राज्य की सकियता कितनी उचित कितनी अनुचित।

किसी मजबूत द्वारा किसी कमजोर की मजबूरी का लाभ उठाना शोषण माना जाता है। शोषण में किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं हो सकता। शोषण किसी की इच्छा और सहमति के बिना नहीं हो सकता। शोषण किसी कमजोर द्वारा मजबूत का भी नहीं हो सकता। आवश्यक है कि शोषित कमजोर, हो मजबूर हो और शोषण से सहमत हो। शोषण कभी भी अपराध नहीं होता न ही समाज विरोधी कार्य होता है। शोषण किसी के मौलिक अधिकारों का अतिकमण नहीं करता किन्तु शोषण अनैतिक और असामाजिक कार्य हो सकता है।

एक बुढिया किसी प्यास से छटपटा रहे राजा से एक गिलास पानी के लिये उसका आधा राजपाट मांग ले तो यह बुढिया द्वारा किया गया शोषण नहीं माना जाता। किन्तु कोई अमीर किसी प्यासी बुढिया से एक गिलास पानी के लिए उसकी मजबूरी का लाभ उठाकर उसकी जमीन ले ले तो यह उस अमीर द्वारा किया गया शोषण माना जायेगा । वर्तमान समय में मुख्यशोषण पांच प्रकार के माने जाते है– 1 अमीरों द्वारा गरीबों का 2 बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम का। 3 परिवार व्यवस्था में पुरुषों द्वारा महिलाओं का 4 राजनैतिक शक्ति प्राप्त तंत्र द्वारा लोक का। 5 सवर्णो द्वारा अवर्णो का। 6 धूर्त व्यक्तियों द्वारा शरीफ लोगो का। ये छः प्रकार के शोषण समाज में लम्बे समय से चल रहे है और आज भी चल रहे है । वैसे तो शोषण शब्द का दुरूपयोग सभी राजनेता करते है किन्तु साम्यवादी और समाजवादी शोषण शब्द का दुरूपयोग करने मे सबसे आगे रहते है। ये लोग आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को तो शोषण मानकर बहुत हल्ला करते है किन्तु राजनैतिक गैर बराबरी को निरंतर बढाते चले जाते है। जबकि राजनैतिक असमानता शोषण का सबसे बडा हथियार है। राज्य जितना ही इस प्रकार के शोषण को रोकने में हस्तक्षेप करता है उतना ही शोषण अधिक बढता जाता है भले ही उसका स्वरुप क्यों न बदल जाये। क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी प्रकार का शोषण रोकने के लिए राज्य किसी वर्ग को विशेष अधिकार देता है और उसका यह दुष्परिणाम होता है कि उस वर्ग के धूर्त लोग दुसरे वर्ग के शरीफ लोगों का शोषण शुरु कर देते हैं। इस तरह शोषण रोकने के नाम पर शोषण करने वाले धुर्त लोगों का एक नया वर्ग खडा हो जाता है जिसका समाधान राज्य नहीं कर पाता क्योंकि राज्य ही ऐसे वर्ग के धुर्तो को संरक्षण देता है। मकान मालिक के विरुद्ध किरायेदारों को संरक्षण दिया गया । दहेज के विरुद्ध महिलाओं को संरक्षण दिया गया। अथवा जाति प्रथा के विरुद्ध अवर्णो और

आदिवासियों को संरक्षण दिया गया। इन सबका परिणाम एक ही है कि संरक्षित वर्ग के धुर्तो ने असंरक्षित वर्ग के शरीफों का शोषण किया। एक दूसरी स्थिति यह भी बनी कि राज्य समाज का सबसे बडा शोषक होता है। राज्य शोषण रोकने के नाम पर शक्ति अपने पास इक्टठी करते जाता है और उस शक्ति का दुरुपयोग शोषण के रुप में प्रकट हो जाता है। जनहित के नाम पर देश में ऐसे हजारों कानून बने है जो राज्याश्रित शोषण के हथियार का काम करते है।

मजबूत द्वारा कमजोर की कमजोरी का लाभ उठाना ही शोषण माना जाता है। शोषण अपराध नहीं होता किन्तु अनैतिक होता है। शोषण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कमजोर की मजबूरी को कम करने का प्रयास, किन्तु राजनेता ऐसा प्रयास न करके हमेशा मजबूत की मजबूती को कम करने का प्रयास करता है। परिणाम होता है वर्ग विद्वेश वर्ग संघर्ष और लाभ होता बिचौलिये का अर्थात तंत्र को । एक व्यक्ति मजबूरी मे किसी संपन्न व्यक्ति के घर मे पचास रूपये मे काम कर रहा है जबकि उसकी उचित मजदूरी दो सौ रूपये और सरकार द्वारा घोषित ढाई सौ रूपया है। तंत्र से जुडे लोग उस काम कर रहे व्यक्ति को पचास रूपये मे भी काम देने की व्यवस्था न करके काम करने वाले और काम देने वाले के बीच टकराव पैदा करते है । मै समझता हूॅ कि यह भी एक प्रकार का शोषण है । छत्तीसगढ के मजदूर अधिक मजदूरी के लिये बाहर काम करने जाते है । छत्तीसगढ सरकार उन्हे शोषण से बचाने के नाम पर या तो रोकती है या कई प्रकार के कानूनो से जकडती है। इससे उन जाने वालो का लाभ हुआ या नही यह अलग प्रश्न है किन्तु छत्तीसगढ के उद्योग पतियों का अवश्य लाभ होता है। जिससे उन्हे कम मजदूरी मे मजदूर मिलते रहते है। विचार करिये की शोषण बढा या घटा। भारत का हर पूंजीपति और बुद्धिजीवी पूरा प्रयत्न करते है कि कृत्रिम उर्जा सस्ती हो जिससे उन्हें अप्रत्यक्ष सस्ता श्रम मिलता रहे । विचार करिये कि यह प्रवृत्ति श्रम शोषण है या नहीं। महिलाओं का शोषण कभी नही होता या तो बलात्कार होता है या धोखा, किन्तु महिला शोषण रोकने के नाम पर महिला और पुरूष के बीच एक दीवार खडी की जाती है जिसका लाभ तंत्र उठाता है।एक रोटी के लिये भूखी महिला को रोटी देकर एक यौन भूखा पुरूष अपनी भूख मिटाता है तो नैतिक तरीके से दोनो की भूख मिटाने की व्यवस्था न करके दोनो के बीच बाधा उत्पन्न करने वालो को यदि शोषक न कहा जाय तो क्या कहा जाय? आज कल प्राइवेट स्कूलो की फीस के नाम पर बहुत नाटक हो रहा है। यू पी के मुख्य मंत्री भी इस बहती गंगा मे हाथ धो रहे है। वर्तमान मे मंहगी फीस लेकर पढा रहे प्राइवेट स्कूलो को रोकने की अपेक्षा क्यो न हम कम फीस वाले अच्छे स्कूल शुरू करते है । कौन रोकता है आपको स्वस्थ प्रतियोगिता से? किन्तु करना धरना तो कुछ है नही और जो कुछ हो रहा है उसे शोषण के नाम पर अव्यस्थित

करना ही आज की राजनीति है। ऐसे लोगो के चमचे भी उनकी प्रशंसा करके उन्हे और मजबूत करते रहते है।

किसी कमजोर के साथ करने योग्य व्यवहार मजबूत का कर्तब्य होता है कमजोर का अधिकार नही। समानता का व्यवहार करना भी मजबूतों का कर्तव्य होता है,कमजोरों का अधिकार नहीं। राज्य हमेशा मजबूत के करने योग्य व्यवहार को कमजोर का अधिकार बताकर वर्ग संघर्ष की परिस्थितियां पैदा करता रहता है। इससे समाज मे टूटन तो आती है किन्तु लाभ किसी का नही होता । स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे की आप सहायता तो कर सकते है किन्तु आगे निकल रहे के निकलने में बाधा पहुचाना आपका आपराधिक कृत्य होगा।

शोषण रोकना परिवार व्यवस्था का काम है समाज व्यवस्था का काम है। सरकार का नही। शोषण रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार और गांव की होती है क्योंकि परिवार और गांव द्वारा आंतरिक व्यवस्था में सबकी सहमति समान होती है । मैं मानता हूॅ कि वर्तमान समय में ऐसी समानता का अभाव है और इस अभाव का दुष्परिणाम शोषण के रुप में सामने आता है। किन्तु ऐसी व्यवस्था बनना बहुत कठिन नहीं क्योंकि परिवार व्यवस्था यदि लोकतांत्रिक है तो उसमें शोषण हो ही नहीं सकता। शोषण का अंतिम आधार समाज व्यवस्था है प्राचीन समय में समाज को यह अधिकार था कि वह किसी प्रकार के अनैतिक कार्य के विरुद्ध अपने बहिष्कार रुपी अधिकार का प्रयोग कर सके। जब से राज्य व्यवस्था मजबूत हुई और उसमें परिवार गांव और समाज के अनुशासन के यह बहिष्कार रूपी हथियार पर भी रोक लगाकर अपना हस्तक्षेप बढा दिया तब से सम्पूर्ण समाज का शोषण का ठेका राज्य रुपी एकमात्र इकाई के पास चला गया। अब समाज न तो शोषण को रोकने में कुछ कर सकता है न ही राज्य को नियंत्रित कर सकता है क्योंकि जनहित की परिभाषा राज्य करता है। शोषण की परिभाषा भी राज्य ही करता है तथा राज्य जब चाहे तब शोषण को अपराध या अपराधों को शोषण के रुप में बदल सकता है। मेरा अंत में सुझाव है कि शोषण मुक्ति के लिए सबसे पहले शोषण और अपराध को अलग अलग करे। शोषण मुक्ति से राज्य को अलग करें। तथा शोषण मुक्ति में परिवार गांव तथा समाज को अधिक सकिय करने का प्रयास करें।

मंथन कमांक 29

''समाज में बढते बलात्कार का कारण वास्तविक या कृत्रिम''

कुछ निष्कर्ष स्वयं सिद्ध हैं–

(1)महिला और पुरुष कभी अलग अलग वर्ग नहीं होते । राजनेता अपने स्वार्थ के लिए इन्हें वर्गों में बांटते हैं।

(2)महिला हो या पुरुष, सबके मौलिक और संवैधानिक अधिकार समान होते है। इनमें कोई भेद नहीं हो सकता। सामाजिक अधिकार अलग अलग होते है क्योंकि दोनों की प्राकृतिक संरचना स्वभाव तथा सकियता में फर्क होता है।

(3)सेक्स की इच्छा दोनों में समान होती है ,कम या अधिक नहीं।

(4)प्राकृतिक संरचना के आधार पर पति को आकामक और पत्नी को आकर्षक होना चाहिए।

(5)स्त्री और पुरुष के बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण श्रृष्टि की रचना के लिए अनिवार्य होता है। विशेष परिस्थितियों में ही उसे नियंत्रित या संतुलित करने का प्रयास किया जा सकता है।

(6) किसी भी रुप में बलात्कार अपराध होता है। उसे रोकने का अधिकतम प्रयत्न होना चाहिये।

किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ बलपूर्वक किया गया सेक्स संबंध बलात्कार होता है। बलात्कार में शक्ति प्रयोग अनिवार्य शर्त होती है। भारत में बलात्कार की गलत परिभाषा प्रचलित की गई है। स्वतंत्रता के बाद बलात्कारों में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। पिछले कुछ वर्षो से बहुत तीब्र गति से बलात्कार की घटनाएँ भी बढ रही है और मुकदमे भी। समझ में नहीं आता कि एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के पुरुषों में सेक्स की क्षमता घट रही है दूसरी ओर बलात्कारों का बढना सिद्ध करता है कि पौरुषत्व लगातार बढ रहा है। मुझे लगता है कि हमारी राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था बलात्कार वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है न कि पुरुषों का बढता पौरुषत्व । वर्तमान में जो बलात्कार की परिभाषा बनाई गई है वह परिभाषा ही बलात्कार की बढती घटनाओं का प्रमुख कारण है। बलात्कार की सबसे अच्छी परिभाषा डॉ0 राममनोहर लोहिया ने दी थी जिसे कभी नहीं माना गया और वर्तमान समय तो उस परिभाषा के ठीक विपरीत दिशा में

तेजी से बढता जा रहा है। हम इस परिभाषा परिवर्तन के परिणाम भी देख रहे हैं। बलात्कार के साथ साथ हत्याओं की भी बाढ सी आ गई है। जेलों में भीड बढती जा रही है। बलात्कार के मुकदमें भी बढते जा रहे हैं। पुलिस ओभर लोडेड हो गई है। कानून जितने कठोर हो रहे हैं उतनी ही अधिक बलात्कार और हत्या की घटनाएँ बढ रही हैं। आवश्यक है कि बलात्कार वृद्धि के कारणों पर गंभीरता से विचार किया जाये।

सेक्स एक प्राकृतिक भूख है और उसे बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता । न प्राचीन समय में ऐसा संभव हो पाया न ही आज हो पा रहा है न भविष्य में हो पायेगा। भूख और पूर्ति के बीच दूरी जितनी बढेगी उतनी ही अपराध की स्थितियॉ पैदा होती हैं। पुराने जमाने में भूख लगती थी सोलह वर्ष में और विवाह होता था चौदह वर्ष में। बलात्कार मजबूरी नहीं मानी जाती थी। वर्तमान ना समझ नेताओं के समय में इच्छाएँ सोलह की जगह पन्द्रह में पैदा होने लगी तो विवाह की उम्र एक्कीस कर दी गई। पुराने जमाने में विवाह के बाद भी यदि किसी परिस्थिति में मजबूरी हो तो पुरुषों के लिए वैश्यालय थे। वर्तमान समय में विवाह की उम्र बढा दी गई तो दूसरी ओर वैश्यालयों, यहॉ तक कि बार बालाओं तक को रोकने के प्रयास शुरु हो गये। प्राचीन समय में महिला और पुरुष के बीच दूरी घटनी चाहिए या बढनी चाहिए इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था । यह व्यक्ति परिवार और समाज पर निर्भर करता था। अब सरकार इस पर पूरी ताकत लगाकर इस दूरी को घटाने का प्रयास कर रही है। बलात्कार बढ रहे है और स्त्री पुरुष के बीच दूरी निरंतर घटाई जा रही है। पुराने जमाने में परिवार और समाज का अनुशासन था। अब वर्तमान समय में परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को जान बूझकर कमजोर किया गया। पुराने जमाने में छेडछाड की घटनाओं को विशेष परिस्थिति में ही कानून की शरण में लिया जाता था अन्यथा ऐसी बाते सामाजिक स्तर पर निपटा ली जाती थी या छिपा ली जाती थी। अब ऐसी घटनाओं को बढा चढा कर प्रचारित करना एक फैशन के रुप में बन गया है। महिला सशक्तिकरण का नारा तो इस अव्यवस्था में और अधिक सहायक हो रहा है। चरित्रहीन महिलाएँ इसका ज्यादा दुरुपयोग करने लगी हैं। प्राकृतिक तौर पर पुराने जमाने में माना

जाता था कि स्त्री और पुरुष में से किसी एक को स्वाभाविक रुप से दोषी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोनों के बीच इच्छाओं की मजबूरी समान होती है। वर्तमान समय में हर पुरुष को अपराधी सिद्ध करने की होड मची है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि जो महिलाएँ भारत की महिलाओं का संवैधानिक पदो पर प्रतिनिधित्व कर रही है उनमें से अनेक ऐसी है जिनका व्यक्तिगत जीवन कलंकित रहा है। उनमें से कई तो किसी बडे राजनेता के साथ जुडी भी रही है और उन्हें उंचे पद दिलाने में यह जुडाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संदेह होता है कि यदि महिलाओं के विषय में निर्णय करने वाली महिलाओं में ऐसी भी महिलाए होंगी तो बलात्कार बढेंगे ही। ऐसे महिला और पुरुष अपने लिए तो चोर दरवाजे की व्यवस्था खोज लेते है और दूसरे परिवारों की पारिवारिक एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए कानून बनाते रहने है। मैंने तो यहॉ तक सुना है कि विवाहित पति पत्नी के बीच बिना अनुमति के शारीरिक संबंध बनाने को भी बलात्कार घोषित करने की चर्चाए चल रही हैं।

बलात्कार भी दो परिस्थितियों में होता है– 1 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यदि कोई सेक्स की भूख से व्याकुल व्यक्ति बलात्कार करता है तो वह अपराध होते हुए भी उस अपराध से छोटा माना जाना चाहिए जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए बलात्कार होता है। आवश्यकताएँ सीमित होती है और इच्छाए असीमित होती है।वर्तमान कानून इन दोनों के बीच अंतर नहीं कर पाता। स्त्री और पुरुष के बीच प्राकृतिक स्थितियॉ ऐसी है कि दोनों के बीच के आकर्षण को निरुत्साहित करना खतरनाक होगा । उसे विशेष परिस्थितियों में ही अनुशासित या शासित करना चाहिए। सरकार का कानून इतना ज्यादा संवेदनशील बना दिया गया है कि किसी प्रकार का निवेदन करना भी बडे अपराध में शामिल किया जा सकता है। मेरे विचार से इस प्रकार के कानून धूर्त महिलाओं को ब्लैकमेल करने के अवसर देते है। मैं मुलायम सिंह जी या शरद यादव के विचारों को सुनता रहा हूँ। भले ही और लोग उन्हें न सुने।

बढते बलात्कार समाज के लिए एक कलंक है। उन्हें रोकने के लिए चौतरफा प्रयत्न करने होंगे । हमें यह ध्यान रखना होगा कि बलात्कार

रोकने के नाम पर स्त्री और पुरुष के बीच के आकर्षण पर विपरीत प्रभाव न पडे। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई व्यक्ति सेक्स की भूख के कारण मानसिक रोगी न हो जाये या कोई अन्य गंभीर अपराध न कर बैठे। बलात्कार रोकने के नाम पर अनावश्यक कानूनी छेड छाड बहुत घातक है। विवाह की उम्र को युक्ति संगत किया जाये। वैश्यालयों को पूरी तरह खोल दिया जाये। बलात्कार के अतिरिक्त अन्य कानूनों में संशोधन किये जाये। परिवार और समाज को भी अनुशासन बनाने में सहयोगी माना जाये। जो महिलाए परम्परागत तरीको का पालन करती है उनके साथ छेड छाड को अधिक गंभीर माना जाये उनकी तुलना में जो आधुनिक तरीको से खतरे उठाती है। साथ ही यह भी प्रयत्न किया जाये कि बलात्कार के नाम पर धूर्त महिलाए समाज को ब्लैकमेल करने में सफल न हो सके। बलात्कार का रोका जाना जितना जरुरी है उतना ही जरुरी यह भी है कि बलात्कार के नाम पर जेलों में भीड बढाने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित हो।

मंथन समीक्षा

आज से ठीक छः माह पूर्व 1 अक्टूबर से मंथन कार्यक्रम शुरु किया गया था। अब तक 26 विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ है। कार्य ठीक तरीके से प्रगति पर है। इस योजना से कई नये लोगों से सम्पर्क हुआ है जिन से फेसबुक के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता रहता हूॅ तथा प्रतिदिन उन्हें पढता भी हूॅ। इनमें भूपत सूट,दिलीप मृदुल, रवि शंकर जी, नरोत्तम स्वामी जी आदि प्रमुख है। रोशनलाल अग्रवाल,नरेन्द्र सिंह जी, रामवीर जी तथा संजय तिवारी जी तो मेरे पुराने सम्पर्क एवं परिचित के है। आर पी सिंह जी तथा अभय दूबे जी के विचार मैं टीबी में अवश्य सुनता हूॅ तथा पढता भी हूॅ। उपरोक्त सबको मैं इसलिए महत्व देता हूॅ कि मुझे इनमें कुछ तटस्थता दिखती है । मैं मंथन की छः महिने की प्रगति से पूरी तरह संतुष्ट हूॅ।

मंथन क्यों?

समाज में और विशेषकर भारत में समस्याओं का अंबार दिखता है। हर आदमी दुखी दिखता है। सबके मन में एक काल्पनिक भय घुसा रहता है। मैंने शोध करके पाया कि ऐसे भय दुख या समस्याओं में से 90 प्रतिशत या तो कृत्रिम होती है या काल्पनिक। समाज में ऐसे अनेक समाधान प्रचलित कर दिये गये है जो स्वयं ही समाधान न होकर समस्या हैं। ऐसा वातावरण बना है कि आम लोग स्वयं उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता खोते जा रहे है। सब लोग या तो सरकार का मुह देखते रहते है या किसी गुरु का।

मंथन क्या?

मंथन का उददेश्य है समाज में सामान्य लोगों की अपनी निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होना। लोग आसानी से ठगे न जायें और बिना विचारे अनुकरण न करें। मंथन का उददेश्य जनमत परिष्कार है। किसी विचार या विचारधारा का प्रचार नहीं, सत्य का भी नहीं, उचित का भी नहीं। क्योंकि सत्य क्या है यह बताने वाले आपको गली गली मिल जायेंगे किन्तु स्वयं सत्य तक पहुचने की क्षमता बढे इस दिशा में मंथन कार्यक्रम ही आपका सहयोगी होगा। मंथन आपको किसी विषय के निष्कर्ष नहीं देता बल्कि आपकी निष्कर्ष निकालने की प्रकिया को विकसित करता है।

मंथन कैसे?

1 अक्टूबर को 300 विषयों की सूची प्रकाशित की गई थी जिनमें से प्रत्येक शनिवार को एक विषय पर एक विस्तृत विवेचना आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। यह विवेचना आपको फेसबुक,वाटसअप तथा काशइंडिया डॉट कॉम के माध्यम से जाती है। उस विवेचना के छोटे छोटे महत्वपूर्ण वाक्य प्रतिदिन कोटेशन के रुप में आपके पास जाते है। इस तरह प्रतिदिन हम सबके बीच उस निश्चित विषय पर विचार मंथन तथा तर्क वितर्क चलता रहता है। अगले शनिवार को विषय बदल जाता है। चूँकि मंथन का उददेश्य सर्वांगीण विचार मंथन हैं एकांगी नहीं। अर्थात समाज में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, संवैधानिक, पारिवारिक, आपराधिक, स्वास्थ संबंधी, पर्यावरण,

अन्तरराष्ट्रीय तथा अन्य सभी विषयों पर जनमत परिष्कार आवश्यक है। इसलिए विषय भी हमेशा बदलते रहते है। कोई भी विषय दुबारा नहीं लिया जाता है। यहॉ तक कि किसी एक प्रकार का मिलता जुलता विषय भी जल्दी नहीं लिया जाता क्योंकि हमारा उददेश्य विचार नहीं है,विचार मंथन है। जो लोग फेसबुक,वाटसअप वेबसाईट से नहीं जुडे है वैसे साथियों को ज्ञानतत्व पाक्षिक के माध्यम से ये विषय भेजे जाते है।

योजना

मंथन कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए दो दिशाओं में और सक्रियता है–

1. हर महिने की निश्चित तारीख को दो दिनों तक दिल्ली में प्रत्यक्ष बैठकर चर्चा का कार्यक्रम है। यह चर्चा उन्हीं विषयों पर होगी जो विषय उसके पूर्व फेसबुक में आये हैं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन छः घंटे का होगा और भोजन व्यवस्था भी वही होगी। इस पूरी व्यवस्था को संचालित रामवीर श्रेष्ठ जी करेंगे।
2. ऐसा माना गया है कि भारत की सम्पूर्ण व्यवस्था में राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की राजनीति एक संविधान से संचालित होती है किन्तु संविधान स्वयं ही राजनेताओं द्वारा संचालित होता है । इसलिए यह योजना बनी कि भारत में संविधान संशोधन के लिए किसी एक अलग प्रक्रिया को विकसित किया जाये। इस आधार पर सन् 2019 के चुनाव के तत्काल बाद लगातार एक महिने की संविधान मंथन सभा की योजना बनी है। इस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व होने का प्रयास होगा। यह संविधान मंथन सभा वर्तमान संविधान की पूरी समीक्षा करके कुछ प्रस्ताव तैयार करेगी । इस पूरे कार्य का संचालन आचार्य पंकज जी करेंगे।

इस तरह छः महिने की प्रगति रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपका सहयोग अपेक्षित है तथा आप हमें उचित मार्गदर्शन भी देने की कृपा करें।

अरविन्द केजरीवाल का राजनैतिक भविष्य

चार ही वर्ष बीते हैं जिसके पूर्व भारत की जनता अरविंद केजरीवाल को योग्य प्रधानमंत्री के रुप में देखने लगी थी। अन्ना हजारे सहित अनेक लोगों ने उन पर विश्वास किया। अन्ना जी को धोखा देने के बाद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को ऐतिहासिक समर्थन दिया। एक डेढ वर्ष बीतते बीतते ऐसा लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य पागल खाने की तरफ बढ रहा है और अब एक डेढ वर्ष और बीता है तो पागल खाने की जगह जेलखाने की चर्चाऍ शुरु हो गई हैं।

मैंने राजनीति में दो प्रकार के लोगों को देखा हैं—1 वे जो गलत काम भी ऐसे कानून सम्मत तरीके से करते है कि वे हर प्रकार के आरोपों से मुक्त रहते हैं। 2 वे जो सही काम गैर कानूनी तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान मिलता है भले ही वह काम गैर कानूनी ही क्यों न हो। केजरीवाल ने एक तीसरी लाइन पकडी जिसमें उन्होनें गलत कार्य गैर कानूनी तरीके से करना शुरु किया। शुंगलू कमेटी सहित अन्य अनेक कार्य उनकी इस कसौटी से अलग भी रखें तब भी इनका राम जेठ मलानी को गुप्त रुप से चार करोड रुपया देने का प्रयास ऐसे संदेह के लिये पर्याप्त है कि उन्होने गलत कार्य गलत तरीके से किया।

अरविन्द केजरीवाल का काम करने का तरीका साम्यवादियों से मिलता जुलता है। साम्यवादी व्यक्तिगत जीवन में लगभग ईमानदार होते हैं किन्तु राजनैतिक उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी सीमा तक गलत कर सकते हैं जिसमें हत्या या बलात्कार भी शामिल हो सकता है। पार्टी के लिये भ्रष्टाचार को तो ये लोग आम तौर पर सही मानते हैं। अरविन्द जी ने जिस तरह राम जेठ मलानी के नाम से इतनी बडी रकम निकालने की कोशिश की उसमें से जेठ मलानी जी को क्या देना था और पार्टी फंड कितना था यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है किन्तु राशि की बढाई गई मात्रा और गुप्तता से संदेह तो होता है । धीरे धीरे अरविन्द जी का राजनैतिक भविष्य साफ होता जा रहा है जिसके अनुसार वे प्रधानमंत्री की दौड से तो पूरी तरह बाहर हो गये हैं और यदि वे मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर सके तो स्पष्ट नहीं कि वे किस खाने की ओर जायेंगे।

प्रश्नोत्तर

1 प्रमोद केसरी

1 प्रश्नः— आपने मंथन कमांक 15 में कम आबादी, अधिक भूमि की समस्या की चर्चा की है, अधिक आबादी,कम भूमि में कैसे बदला जा सकता है, उपाय बताइये?

उत्तरः—स्वतंत्रता के पहले अधिक भूमि और कम आबादी का समीकरण बना हुआ था जो स्वतंत्रता के बाद भी 10—20 वर्ष तक चलता रहा। उस समय सरकार बहुत कम लगान पर निःशुल्क भूमि आबंटन किया करती थी। ज्यों ज्यों आबादी बढती गई त्यों त्यों जमीन की आवश्यकता बढी । धीरे धीरे जमीनों का मूल्य भी बढा, और छीनाझपटी भी बढी। इसी छीनाझपटी में न्यायपालिका ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाधान की जगह समस्या को विस्तार दिया। अब समस्या बहुत बढ गई है इसलिए नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए—

(1)कोई भी भूमि किसी भी व्यक्ति,संस्था या संगठन को निःशुल्क या रियायती मूल्य पर नहीं दी जानी चाहिए। स्कूल, अस्पताल, मंदिर ,श्मशान तक को नहीं। सडक, रेल को भी नहीं। यहॉ तक कि सरकार को भी नहीं। कुंआ, बांध को भी नहीं। सब लोग अपनी आवश्यकता अनुसार जमीन खरीदे।

(2) सभी प्रकार के वन उत्पाद कर मुक्त कर दिये जायें। जंगल को लाभदायक व्यवसाय बनने दिया जाये। राष्ट्रीयकरण समाप्त करके सरकारी वन भी प्रतिस्पर्धा करें।

(3)सरकारी जलप्रदाय सिंचाई सहित इतना मंहगा कर दिया जाये कि निजी उद्योगपति भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकें। जल संग्रहण के लिए भी वैज्ञानिक तरीके से कम भूमि उपयोग के तरीके खोजे जाये।

(4)सभी प्रकार के कृषि उत्पादों पर से टैक्स हटा दिया जाये। खाद, पानी, बिजली, डीजल आदि को मंहगा कर दिया जाये और उसी की तुलना में कृषि उत्पादों का मूल्य स्वतंत्रतापूर्वक बढने दिया जाये। स्पष्ट है कि वर्तमान उपभोक्ता प्रधान अर्थव्यवस्था को बदल कर उत्पादन प्रधान बनाना चाहिये।

(5)भूमि का मूल्य अधिकतम बढने दिया जाये जिससे भूमि का संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग हो। भूमि कय विकय का टैक्स घटाया जाये तथा आसान तरीका बनाया जाये।

(6)सरकार निरंतर अपनी भूमि बेचने का प्रयास करे। जिससे भूमि का अभाव न दिखे तथा कम भूमि अधिक उपयोग की नीति सफल हो सके।

वर्तमान समय में तो मेरे ये सुझाव हैं। अन्य सुझावों पर भी चर्चा हो सकती है।

2 प्रश्नः— आपने आत्म हत्या को स्वतंत्रता लिखा। इसका आधार क्या है?

उत्तरः— आचार संहिता तथा नागरिक संहिता अलग अलग विषय होते हैं। किसी इकाई का इकाईगत आचरण उसकी आचार संहिता होती है। आचार संहिता इकाई स्वयं ही बनाती है तथा स्वयं ही पालन करती है। उसमे कोई अन्य इकाई तब तक हस्तक्षेप नही कर सकती जबतक उस अन्य इकाई की स्वतंत्रता का उल्लंघन न होता हो। किसी इकाई का किसी अन्य इकाई से व्यवहार का तरीका नागरिक संहिता होती है। नागरिक संहिता सभी इकाईया मिलकर बनाती है तथा सभी उसका पालन करने के लिये बाध्य होती है। सहमत सेक्स हमारी आचार संहिता है। उससे बालक का जन्म लेना नागरिक संहिता है। मांस खाना हमारी आचार संहिता है । किसी दूसरे को दिखाकर खाने मे नागरिक संहिता लागू होती है। सिगरेट पीना हमारी आचार संहिता है। उसका धुंआ किसी अन्य को प्रभावित करे तो नागरिक संहिता लागू होती है। नागरिक संहिता तभी लागू होती है जब किसी अन्य को उस सिगरेट के धुंए से आपत्ति हो । यदि वह सहमत है तक नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकती। इसी तरह व्यक्ति का वह कार्य जो किसी अन्य को प्रत्यक्ष प्रभावित नही करता वह उसका आचरण है तथा उसका वह कार्य किसी अन्य को उसकी सहमति के बिना प्रभावित करता है, वह उसका व्यवहार है। व्यक्ति का कोई भी व्यवहार उसकी नागरिकता से जुडा है। वहां नागरिक संहिता लागू होती है। व्यक्ति एक इकाई है। आत्म हत्या वह स्वयं तय करता है। यह उसके व्यक्तिगत आचरण का विषय है। इसमे नागरिक संहिता दखल नही दे सकती। यदि कोई व्यक्ति पागल है या गंभीर नशे मे है तब परिवार या अन्य उसे तब तक आत्म हत्या से रोक सकते है जब तक वह स्वयं निर्णय की स्थिति मे न हो । आत्म हत्या को कानून से रोकना स्वयं मे व्यक्ति के प्रकृति प्रदत अधिकारो का एक अतिक्रमण है, जो एक अपराध है। याद रहे कि इस्लाम मे व्यक्ति धार्मिक

सम्पत्ति है। साम्यवाद तथा राष्ट्रवाद मे राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा लोकतंत्र मे सामाजिक सहयोगी माना जाता है, सम्पत्ति नहीं।

3 श्री संजय ताती जी

प्रश्न– यदि कृत्रिम उर्जा सस्ती हो तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? इसका समाधान क्या है?

उत्तरः–(1) श्रम का मुल्य नहीं बढता।

(2) पर्यावरण प्रदुषण अधिक होता है।

(3) गोबर गैस, बायोडीजल अथवा सौर उर्जा का उत्पादन तुलनात्मक रुप से कठिन होता है।

(4) आवागमन सस्ता होता है। इससे उद्योगधंधों का केन्द्रीयकरण होता है।

(5) विदेशी कर्ज बढता है।

(6) खाडी के देशों को दबाव बनाने का अवसर प्राप्त होता है।

(7) ग्रामीण उद्योग बंद होते है और गॉवों की आबादी शहरों की ओर पलायन करती है।

(8) आर्थिक असमानता बढती है।

(9) गरीब और श्रमजीवी कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते बल्कि सस्ते अनाज सस्ते कपडे के लिए पूँजीपतियों या सरकार का मुँह देखते रहते है।

(10) देश के सकल घरेलू उत्पाद पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि बिजली की कमी होने से मशीने पूरा काम नहीं कर पाती।

मैं स्पष्ट हूँ कि यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढे तो ये सभी समस्याएँ एक ही प्रयास में सुलझ जायेंगी। संजय ताती जी ने उद्योगधंधो पर प्रभाव की बात की है तथा उपभोक्ता वस्तुओं के महंगा होने की बात की है साथ ही निर्यात के प्रभाव की भी चर्चा की है। मैंने इस विषय पर 50 वर्षो तक रिसर्च किया है। यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढेगा तथा अन्य प्रकार के टैक्स समाप्त होंगे तो न उपभोक्ता वस्तुएँ महंगी होंगी न ही निर्यात प्रभावित होगा बल्कि देश का उत्पादन बहुत तेजी से बढेगा और

हम जल्दी ही विश्व की अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे। यदि किसी मित्र को कोई बात प्रश्न योग्य लगे तो वे पुनः प्रश्न करें? मैं आश्वस्त हूँ कि भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का एकमात्र समाधान कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि है जिसे वामपंथी,समाजवादी तथा पूँजीपति बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर कभी सफल नहीं होने देंगे क्योंकि यदि श्रम का मूल्य बढा तो श्रम खरीदने वालो के लिए भारी संकट पैदा हो जायेगा तथा श्रम बेचने वाले श्रम खरीदने वालो से बार्गेनिंग करेंगे।

कृत्रिम उर्जा सस्ती होने के दुष्परिणामों पर कल चर्चा हुई। मूल्य वृद्धि से होने वाले लाभ पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि इसके राजनैतिक परिणाम क्या होंगे। मेरा प्रस्ताव यह हैं– कृत्रिम उर्जा का मूल्य पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष पच्चीस प्रतिशत बढा दिया जावे। पांच वर्ष में इसका मूल्य वर्तमान का ढाई गुना हो जावेगा। प्रतिवर्ष दस प्रतिशत गरीब आबादी को दो हजार रुपया प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह उर्जा भत्ता दिया जाये। पांच वर्ष में आधी आबादी को मिलने लगेगा। पांच वर्ष में कमशः बीस प्रतिशत सब्सीडी तथा टैक्स भी कम करते जावें।

परिणाम पांच वर्ष में –

(1) आर्थिक असमानता घट जायेगी। आधी आबादी की आय बढेगी और व्यय घटेगा तो आधी आबादी की आय घटेगी व्यय बढेगा। श्रम का मूल्य करीब डेढ गुना बढ जायगा तथा कृषि उपज का मूल्य भी डेढ गुना बढ जायेगा। पांच वर्ष में गरीबी रेखा समाप्त हो जायगी।

(2)गावों में रोजगार बढेंगे तथा शहरों में घटेंगे। शहर महंगे होंगे और गॉव सस्ते। आवागमन व्यय दो गुना महंगा हो सकता है। शहरी आबादी घटेगी तथा ग्रामीण आबादी बढेगी। शहरों में आवागमन के जाम से मुक्ति मिल जायगी। गॉडिया कम चलेंगी।

(3) डीजल पेट्रोल का आयात बिल्कुल बन्द हो जायेगा। बिजली पर्याप्त बनेगी तथा उपयोग में आयेगी। खाडी देशों की अकड खतम हो जायेगी। खाडी देश अपना धन भारत में भेजकर आतंकवाद साम्प्रदायिकता नहीं फैला सकेंगे। भारत का विदेशी कर्ज भी कम हो जायेगा।

(4) पर्यावरण प्रदूषण अपने आप कम हो जायगा। वनोपज पर टैक्स खतम होने से वृक्षारोपण भी बहुत होगा।

(5) देश का उत्पादन तेजी से बढेगा। श्रम आधारित लघु उद्योग स्थानीय खपत का माल ज्यादा बनायेगें तो बडे उद्योग निर्यात प्रधान माल ज्यादा बना सकेंगे। उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। बिजली मंहगी होने से नई तकनीक की खोज भी बढ सकेगी।

(6) आधी गरीब आबादी का आत्मविश्वास जगेगा। अभी तक वे सब्सीडी के लिए सरकार पर निर्भर दिखते हैं। अब सब्सीडी बिल्कुल बन्द हो जायेगी। उन्हें उर्जा भत्ता मिलेगा जो एक समान होगा तथा उनका अधिकार होगा,सब्सीडी नहीं।

मैं जानता हूॅ कि भारत की तैंतीस प्रतिशत गरीब आबादी पांच प्रतिशत कृत्रिम उर्जा का उपयोग करती है। तैतीस प्रतिशत मध्य वर्ग पच्चीस प्रतिशत तथा तेंतीस प्रतिशत उच्चवर्ग सत्तर प्रतिशत कृत्रिम उर्जा की खपत करता है। स्वाभाविक है कि आधी आबादी की श्रम मूल्य बढने से आय बढेगी तथा दो हजार रुपया प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह उर्जा भत्ता मिलने से खर्च बहुत घटेगा। बीच के लोगों पर मिला जुला तथा उपर वालों पर बुरा प्रभाव होगा। मैं समझता हूॅ कि यदि कोई दल इस मुददे पर मतदान करा दें तो साठ प्रतिशत आबादी कहेगी कि आप उर्जामूल्य ढाई गुना करके मुझे दो हजार का भत्ता दे दीजिए। कुछ लोग तो यह भी सुझाव दे सकते हैं कि आप उर्जा मूल्य पांच गुना कर दें और भत्ता भी चार हजार कर सकते हैं। देश में आर्थिक क्रांति संभव है। सिर्फ आवश्यकता है किसी नीतिश या मोदी सरीखे हिम्मत और जोखिम उठाने वाले की जो शराब बन्दी या नोट बंदी जैसी हिम्मत से फैसले ले सके। भारत की जनता प्याज,टमाटर मूल्य वृद्धि पर सरकार बदल देती है तो दो हजार रुपया प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह का उर्जा भत्ता तो कई गुना अधिक आकर्षक है।

मैं आश्वस्त हूॅ कि भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का एकसूत्रीय समाधान है कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि।

4 प्रश्न–आपने अधिकारों की बात की है किन्तु कर्तव्य के बिना अधिकार का कभी उपयोग नहीं हो पाता। संविधान में नागरिक के कर्तव्यों का भी समावेश है। साथ ही राज्य के कर्तव्य भी धारा 34 से 51 तक वर्णित हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है?

उत्तर–संविधान बनाने वालो की नासमझी या बुरी नीयत के कारण संविधान में कर्तव्यों का समावेश किया गया। वास्तविकता यह है कि संविधान समाज के द्वारा बनाया जाता है तथा राज्य के लिए बाध्यकारी होता है। संविधान का पालन करना राज्य का दायित्व होता है कर्तव्य नहीं। क्योंकि राज्य को समाज शक्ति देता है, अधिकार नहीं और यह शक्ति राज्य के पास समाज की अमानत होती है। दुर्भाग्य है कि राज्य ने उस शक्ति को अपना अधिकार मान लिया और उस अधिकार का

दुरुपयोग करके उसने संविधान में समाज के उपर कर्तव्यो का बोझ डाल दिया। राज्य का जो दायित्व होता है वही समाज का और व्यक्ति का अधिकार बन जाता है। उस अधिकार की पूर्ति के लिए राज्य समाज के समक्ष उत्तरदायी होता है। स्वैच्छिक कर्तव्य के लिए कोई किसी के समक्ष उत्तरदायी नहीं होता। नासमझी के कारण संविधान ने मजबूतों के स्वैच्छिक कर्तव्यों को कमजोरों का अधिकार घोषित कर दिया। यह घोषणा पूरी तरह गलत है। समाज का दायित्व नहीं है कि वह किसी कमजोर की मदद करे। मदद करने के लिए कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता बल्कि वह तो उसका कर्तव्य होता है। यदि कही आग लगी है तो आग बुझाना सबका कर्तव्य है और आग बुझाने वालों को धन्यवाद देना आग पीडित का कर्तव्य। यदि समाज का व्यक्ति आग नहीं बुझाता तो ऐसा कार्य उसका असामाजिक कार्य माना जायेगा किन्तु समाज विरोधी नहीं। ऐसे व्यक्ति को समाज बहिष्कृत कर सकता है किन्तु दण्डित नहीं। दुर्भाग्य से कर्तव्य और दायित्व,असामाजिक और समाज विरोधी तथा बहिष्कार और दण्ड का भेद न समझने के कारण ये भ्रांतियॉ फैली हुई हैं।

5 प्रश्न—आपके विचार पढकर ऐसा लगता है कि आप एक ओर तो सर्वोदय के साथ जुढे रहे है दूसरी ओर वर्तमान समय में आपका झुकाव बी जे पी तथा संघ की ओर भी दिखता है। कई लोगों से यह भी पता चला कि आपकी भविष्यवाणियॉ लगभग सच निकलती है। इस संबंध में आप जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर— मै न तो भविष्य वक्ता हूॅ न ही भविष्य वाणी करता हूॅ। मै अनुभव के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो निष्कर्ष निकालता हूॅ वह निष्कर्ष उसके आधार संहित ज्ञान तत्व के माध्यम से लिख देता हूॅ। ऐसे निष्कर्ष सही निकल जाते है । जिसका यह मतलब नही कि मैने भविष्यवाणी की है। यह सच है कि पिछले बीस तीस वर्षो मे लिखे गये मेरे निष्कर्ष लगभग सही निकले है। इसलिये पाठको की ऐसी धारणा बनी है।

सर्वोदय से मेरा जुडाव पचीस वर्षो का है। सर्वोदय के बंग साहब की टीम ने मुझे आपत्ति काल मे सहायता भी दी, और मार्गदर्शन भी किये। किन्तु मै सर्वोदय मे साम्यवादियों के नियंत्रण को ठीक नही समझता था। 2002 मे गुजरात के आम चुनावो के पूर्व जब पटना अधिवेशन मे सर्वोदय ने प्रत्यक्ष होकर भाजपा का विरोध करने की घोषणा की तब मैने

वहा विरोध किया था, और एक लेख ज्ञानतत्व क्रमांक 59 दिनांक 16 से 30 नवम्बर 2002 मे लिखा था कि सर्वोदय क्या और कैसे गलती कर रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। आप मित्र काश इंडिया डाट काम पर उक्त अंक मे देख सकते है।

आचार्य गुरू शरण जी सर्वोदय मे मेरे मित्र, सलाहकार तथा मार्ग दर्शक भी रहे है। उन्होने गुजरात चुनावो के बाद मुझसे एक प्रश्न किया था। जिसका मै उन्हे जो उत्तर दिया। वह उत्तर भी ज्ञानतत्व अंक इक्सठ 1 से 15 जनवरी 2003 मे छपा है। मैने उस समय सर्वोदय को गुजरात के लक्षणो के आधार पर जो सलाह दी थी उस सलाह पर आज भी मै कायम हूॅ। आप देख सकते है कि मैने जो कुछ लिखा था वह कितना निष्पक्ष कितना धर्मनिरपेक्ष ओर कितना सही था। मैने उस समय जो यह लाईन लिखी थी कि गुजरात मे हिन्दू साम्प्रदायिकता के बढे मनोबल को आम हिन्दूओ का विश्वास खो चुके तथा कथित धर्म निरपेक्ष कांग्रेसी या गांधीवादी तो रोक नही सकते, अब तक अपने संगठन के बल पर लाभ उठा रहे मुसलमान भी नही उठा सकेगे। देश भर मे खूनी दंगे होगे। हिन्दूओ का ध्रूवीकरण संघ विचार धारा के साथ होगा और हम आप धर्म निरपेक्ष लोग परिणाम शुन्य विरोध दर्ज कराते रहेंगे। मैने यह बात सिर्फ मौखिक नही की बल्कि लिखी है। उसके बाद भी समय समय पर मै निरंतर अपनी बात को दुहराता रहा हूॅ। अब यदि मुसलमान, कांग्रेसी, सर्वोदयी इस सूचना की भी अन्देखी करे दे तो प्रश्न उन सबसे किया जाना चाहिये, मुझसे नही।

मै अब भी मानता हूॅ कि सर्वोदय पर साम्यवादियों का प्रभाव सर्वोदय को डुबाने मे पर्याप्त महत्व पूर्ण रहा है और अब भी है। नकली धर्म निरपेक्षता ने भारत के आम हिन्दूओ का धैर्य समाप्त कर दिया है। यही कारण है कि भारत का आम हिन्दू मोदी की तानाशाही का भी खतरा उठाने को तैयार है, किन्तु नकली धर्म निरपेक्षता के नाम पर दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहने के लिये तैयार नही है। हमारी सफल रणनीति यह होनी चाहिये कि जब धर्म निरपेक्षता साम्प्रदायिकता से टकरा पाने मे सक्षम न हो तो उसे चाहिये कि साम्प्रदायिक शक्तियां आपस मे लडती रहे और धर्म निरपेक्ष उसमे से कमजोर को प्रोत्साहित करता रहे तब तक जब तक वह

स्वयं सशक्त न हो जाये। भारत का संगठित इस्लाम विदेशियो की सहायता पाकर मजबूत बना हुआ है। और यदि उससे साम्प्रदायिक हिन्दुत्व अनैतिक तरीके से भी टकराता है तो हम धर्म निरपेक्षको को सत्य और न्याय की दुहाई देने की कोई आवश्यकता नही है।

ज्ञान तत्व अंक 61– 1 से 15 जनवरी 2003 डॉ॰ गुरूशरण ग्वालियर मध्यप्रदेश
6 प्रश्न–केन्द्र शासन में गठ बंधन सरकार किसी तरह ठेल ठाल कर चल रही है। इसका हल क्या है। ऐसा कब तक चलेगा गुजरात विधान सभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सरकार बन रही है। इनके कट्टर हिन्दुत्व से पूरे देश में प्रतिक्रिया बढ़ने का खतरा है या नहीं।
उत्तर– केन्द्र की सरकार ढीली ढाली चल रही है यह सच है। भारतीय राजनीति में धर्म निरपेक्षता को यदि आधार बनाकर चलें तो दो प्रकार के लोग हैं 1–कांग्रेस 2–भाजपा में अटल जी का ग्रुप। कांग्रेस स्वयं साम्प्रदायिक सोच नहीं रखती किन्तु राजनैतिक कारणों से वह मुस्लिम तुष्टिकरण के मार्ग पर चलती रही है और चल रही है। अटल जी मुस्लिम तुष्टिकरण हिन्दू तुष्टिकरण के घोर विरोधी हैं। वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के हैं किन्तु उन्हें अपेक्षित समर्थन न मिलने से पूरी तरह मजबूर होकर कट्टरवादी हिन्दुओं से दब रहे हैं। छ माह पूर्व तक उन्होंने कट्टरवादी हिन्दुत्व का दृढ़ता से मुकाबला किया। उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि तो बनी किन्तु उनके वोट घटते चले गये। अब उन्हें संकट में राजनीति करनी पड़ रही है। पहले संघ परिवार उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारने के लिये मजबूर था और अब वे संघ परिवार से दबने के लिये मजबूर हैं। यदि वर्तमान समय में वे अपनी आत्मा की आवाज पर त्यागपत्र दे दें तो उनकी प्रतिष्ठा को चार चॉद लग जायेंगे किन्तु सत्ता में धर्मनिरपेक्षता का एक अंतिम पैरवीकार भी टूट जाएगा। उसके बाद भारत में साम्प्रदायिकता का जो नग्न नृत्य होगा वह बहुत ही पीड़ा दायक होगा। गुजरात में हिन्दू साम्प्रदायिकता के बढ़े हुए मनोबल को आम हिन्दुओं का विश्वास खो चुके तथा कथित धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसी या गॉधीवादी तो रोक ही नहीं सकते, अब तक अपने संगठन के बल पर लाभ उठा रहे मुसलमान भी नहीं रोक सकेंगे। देश भर में खुले दंगे होंगे, हिन्दुओं का ध्रुवीकरण संघ विचार धारा के साथ होगा, और हम आप धर्मनिरपेक्ष लोग परिणाम शून्य विरोध दर्ज कराते रहेंगे। मैं पूरी तरह इस मत का हूँ कि संघ परिवार के भावनात्मक हिन्दू एकीकरण का डटकर विरोध किया जाय और संघ परिवार के वैचारिक हिन्दुत्व के मुद्दें का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर उसकी हवा निकाल दी जाये। अटल जी ने धर्म निरपेक्षता पर एक बहस छेड़ने का सुझाव दिया है। इसके लिये उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की जाये। साथ ही बहस को वैचारिक स्वरूप देकर उसे साम्प्रदायिकता बनाम

धर्म निरपेक्षता का रूप प्रदान किया जाय। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता संबंधी पुरानी यथा स्थिति वादी घिसी पिटी लाइन में आमूलचूल बदलाव लाकर परिवर्तन वादी धर्मनिरपेक्ष लाइन लेने की जरूरत है। जिस दिन संघ परिवार के साथ–साथ कट्टरवादी मुसलमान भी आपका कस कर विरोध करना शुरू कर दें तो आप मान लें कि अब खतरा टल रहा है।

अंत में मैं आपकी बात दुहराता हूँ कि भारत में संघ परिवार की सफलता को रोकने के निम्न उपायों पर काम किया जावेः–

1– एक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बने। ध्रुवीकरण संघ और संघ विरोधी के बीच न होकर साम्प्रदायिक और धर्म निरपेक्ष के बीच होना चाहिये।

2– एक धर्म सलाह समिति बने जिसमें सभी धर्मों के लोगों को इस प्रकार सम्मिलित करें कि उसमें अधिक जनसंख्या वालों का कुछ अधिक प्रतिनिधित्व हो।

3– किसी भी धर्म के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करने वाला कानून तब तक न बने जब तक यह समिति सर्व सम्मति से उक्त कानून का समर्थन न करें।

4– धर्म प्रचार के लिये यह समिति ही मार्ग दर्शक सिद्धान्त तय करे।

5– धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने वाले को इस समिति के दिशा निर्देशो के आधार पर ही प्रयास करना आवश्यक होगा। अन्यथा धर्म परिवर्तन कराने का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास अपराध होगा।

6– किसी भी धर्म के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानून तत्काल समाप्त किये जाये।

7– भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की धारणा को पूरी तरह समाप्त करके समान नागरिक संहिता लागू कर दी जावे।

भारत की वर्तमान स्थिति में सर्वोदय ही एकमात्र ऐसी जमात है जो इस आधार पर वैचारिक पहल कर सकती है। सर्वोदय की विश्वसनीयता हिन्दुओं में अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः सर्वोदय को इस दिशा में पहल करनी चाहिये। इस पहल में यह सतर्कता, पूरी तरह रखने की आवश्यकता है कि जो संगठन कट्टरवाद को हिन्दू, मुसलमान या इसाई के रूप में विभाजित करते हैं ऐसे संगठनों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखी जाय। साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा की जाने वाली आलोचना से बचने की अपेक्षा ऐसी आलोचना को अपने काम में सहायक समझा जाय।

7 प्रश्न– नरेन्द्र सिंह जी तथा कुमार अमित ने पूछा है कि वर्तमान समय में मुसलमानों को किस दिशा में पहल करनी चाहिये।

उत्तरः– मैंने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अनुमान व्यक्त किया था जो लगभग सब के सब सच निकले हैं। 20 वर्ष पूर्व ही मैंने गुजरात के नेतृत्व में संघ विचारधारा के एकपक्षीय उभार की जो संभावना व्यक्त की थी वह भी अक्षरक्षः सच निकली है। यदि उस समय सर्वोदय पहल करता तो इस परिणाम को रोका जा सकता था किन्तु सर्वोदय चूक गया। अब भारतीय मुसलमानों को नये तरीके से सोचना पड रहा है । मेरी वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें कुछ सलाह हैं–

1) मुस्लिम समाज को धर्म सर्वोच्च की जगह समाज सर्वोच्च की भावना व्यक्त करनी चाहिये। समाज सर्वोच्च में सहजीवन अनिवार्य होता है जबकि धर्म सर्वोच्च में संगठन का अनुशासन अनिवार्य होता है। सहजीवन का अर्थ है प्रत्येक इकाई द्वारा दूसरी समकक्ष इकाईयों की इकाईगत स्वतंत्रता को स्वीकार करना। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के आंतिरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे तथा यदि कोई दूसरा हस्तक्षेप करे तो स्वयं विरोध करने की अपेक्षा समाज को माध्यम बनावे। इसे ही हम सहजीवन कहते है। सहजीवन में व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यवस्था पर निर्भरता का समन्वय होता है।

2) भारत के मुसलमानों को किसी एक मुसलमान की पहल पर धर्म निरपेक्ष मुस्लिम मोर्चा बनाना चाहिये। ऐसा मोर्चा तरीक फतेह के नेतृत्व में हो तो और अच्छा है अन्यथा कोई और बना सकता है।

3) मोर्चा घोषित करेगा कि भारत में धर्म के आधार पर कोई कानून न बने । समान नागरिक संहिता होनी चाहिए जिसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होगा। सभी संगठन समाप्त कर दिये जायेंगे। भारत 130 करोड व्यक्तियों का देश होगा। धर्म और जातियों का संघ नहीं। संगठनों का स्थान संस्थाए ले सकती है।

4) मोर्चा का प्रत्येक सदस्य वर्तमान प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास व्यक्त करता है। तीन तलाक, धर्म परिवर्तन ,मंदिर मस्जिद, वन्देमातरम गान, योग, आबादी नियंत्रण, हलाला, बहुविवाह, गोहत्या, मांसाहार, राष्ट्रभक्ति, आदि के विषय में जो भी निर्णय प्रधानमंत्री करेंगे उनका हम खुलकर समर्थन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध नहीं करेंगे।

5) कश्मीर के संबंध में हम खुलकर सरकार की कार्यवाही का समर्थन करेंगे। भले ही वह हमारे विचार में गलत ही क्यों न हो।

6) विदेशों से यदि कोई धन प्राप्त होता है तो वह सरकार के पास आयेगा और सरकार अपनी इच्छानुसार हमें दे सकती है।

7) मदरसों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह पारदर्शी होगी और उसकी व्यवस्था करने में स्थानीय इकाईयॉ महत्वपूर्ण होगी। सरकार भी इस संबंध में कानून बना सकती है।

8) शुक्रवार की नमाज पढते समय यदि कोई धार्मिक चर्चा के अतिरिक्त संगठनात्मक या राजनैतिक चर्चा होगी तो मंच के लोग उसका बहिष्कार करेंगे।

9) मंच के लोग चुनाव के समय किसी भी पक्ष को वोट देने या समर्थन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। किन्तु चुनाव के अतिरिक्त हम किसी भी सरकारी नीति का दस वर्षो तक कोई विरोध व्यक्त नहीं करेंगे। यदि इस बीच में कोई सरकारी व्यवस्था हमसे सलाह मांगती है तब हम स्वतंत्रतापूर्वक अपनी सलाह दे सकते है।

10 धार्मिक मुसलमानों को संगठित मुसलमानों से दुरी बना लेनी चाहिये। धार्मिक मुसलमानों की पहचान है हज, रोजा, नमाज, कलमा, जकात,और संगठित मुसलमानों की पहचान है मस्जिद, गाय, पर्सनल ला, अल्पसंख्यक अधिकार, संख्या विस्तार।

मैं समझता हूॅ कि भारत के मुसलमानों ने अपना विश्वास खो दिया है। अब उन्हें विश्वास बहाली के लिए कुछ दबकर भी विशेष प्रयत्न करने होंगे। ऐसे प्रयत्नों में मैनें कुछ सुझाव दिये है। जिस तरह पिछली सरकारों के कार्यकाल में मुस्लिम जनमत ने सरकारों से मिलकर हिन्दू भावनाओं को दबाकर रखा। उसी का परिणाम आज की स्थिति के रुप में सामने दिख रहा है। यदि मुस्लिम समाज ने सूझ बूझ से काम नहीं लिया तो उसकी प्रतिकिया खतरनाक दिशा में जाना संभव है । मेरी उन्हे सलाह है कि वे वस्तु स्थिति को ठीक से समझने का प्रयास करें। मेरे विचार में धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम मोर्चा शांति प्रिय हिल्दुओं को संघ से दूर कर सकता है।

8 श्री ओमप्रकाश दुबे

प्रश्न– सर्वोदय विचारधारा है या कुछ अन्य। गॉधी के गुजरात से साम्प्रदायिकता के विस्तार पर आप क्या सोचते है।

उत्तर–मेरे विचार मे भी सर्वोदय विचारधारा ही है और मै दुबे जी से सहमत हूॅ। सर्वोदय शब्द पहले प्रचलन मे आया था या गांधी के बाद यह मुझे पता नही । मुख्य बात यह भी है कि यह हमारी मुख्य चर्चा का विषय भी नही है। मुख्य चर्चा का

विषय यह है कि गांधी के गुजरात से पूरे देश मे साम्प्रदायिकता का विस्तार होता दिख रहा है और इसमे सर्वोदय समाज से कही गलती हुई है क्या?

गोधराकांड से मोदी जी प्रचार मे आये। हमारे और सर्वोदय के पदाधिकारियों के बीच कुछ मामूली फर्क रहता था किन्तु गोधरा कांड के बाद वह आमने सामने हो गया । हम लोग जिसमे बंग साहब आर्य भूषण जी आदि शामिल थे उनका मत था कि यदि साम्प्रदायिक तत्व आपस मे टकराते है तो हमे या तो तटस्थ रहना चाहिये या न्याय का साथ देना चाहिये। दूसरी ओर कुमार प्रशांत रामचंद्र जी राही तथा आंशिक रुप से अमरनाथ भाई भी इस पक्ष मे थे कि हमे संघ विरोधी मोर्चा को मजबूत करना चाहिये। गांधी मार्ग पत्रिका के सम्पादक राजीव बोरा ने एक लेख लिखकर गोधरा के यथार्थ को प्रगट किया तो सर्वोदय पदाधिकारियों ने उनकी आलोचना की और बाद मे जो हुआ वो सबको पता है। गुजरात चुनाव मे भी हमारी टीम का मत था कि हम साम्प्रदायिकता का विरोध करें। किसी गुट विशेष का नही। कुमार प्रशांत गुट संघ विरोध करने पर पूरी तरह अडा था और स्पष्ट है कि पदाधिकारी का निर्णय न चाहते हुए भी सबको मानना पडा। हम लोग धर्म निरपेक्षता और साम्प्रदायिकता के बीच ध्रुवीकरण के पक्षधर थे तो वे लोग संघ समर्थक और संघ विरोधी के बीच ध्रुवीकरण चाहते थे । हम लोगो के बीच एक अन्य वैचारिक अन्तर भी था कि हम लोग ग्राम स्वराज्य का अर्थ स्वशासित ग्राम व्यवस्था मानते थे तो उन लोगों का समूह स्वावलंबी ग्राम व्यवस्था मानता था। इस प्रकार गुजरात चुनाव के पूर्व से ही हम लोगो के समूह और पदाधिकारीयों के समूह के बीच मतभेद बढते गये। धीरे धीरे परिणाम यह हुआ कि पदाधिकारियों के समूह ने बंग साहब को सेवाग्राम मे मिटिंग करने तथा लोक स्वराज्य की चर्चा करने से भी रेाक दिया।

विचारणीय प्रश्न यह है कि वर्तमान स्थिति के लिये दोषी कौन? मेरे विचार से पदाधिकारियों का समूह यदि ठीक से विचार करता तो गुजरात ऐसी स्थिति मे नही आ पाता। वर्तमान समय मे सर्वोदय के पदाधिकारियों का समूह क्या ठीक समझ रहा है यह मुझे नही मालूम । किन्तु हम लोगो का समूह अब भी धर्म निरपेक्षता को महत्वपूर्ण मानता है। मैने यही लिखा भी है कि नकली धर्म निरपेक्षता को वास्तविक धर्म निरपेक्षता की दिशा मे बढना चाहिये। हम लोगो का समूह ग्राम संसद अभियान को निरंतर गति दे रहा है। पदाधिकारियों का समूह अब भी इससे नही जुडना चाहता। किन्तु अन्य कार्यकर्ताओं को अब नई परिस्थितियों को देखते हुए विचार करना चाहिये कि कौन सा मार्ग ठीक है । सर्वोदय से देश को बहुत आशाये रही है। सर्वोदय की स्थिति देखकर लोग समझ नहीं पा रहे है कि क्या करें। इस उददेश्य से ही यह चर्चा चल पडी है। मै अब भी मानता हॅू कि किसी भी रूप मे

नक्सलवाद का समर्थन भी धातक है और साम्प्रदायिकता का भी। साम्प्रदायिकता को हिन्दु मुसलमान मे बांटना ठीक नही था किन्तु यह गलती पंद्रह वर्ष पूर्व हुई और जिसका परिणाम हम सब देख रहे है।

9 नरेन्द्र सिंह कछवाहा,राजसमंद, राजस्थान
प्रश्न– मेरे कुछ सुझाव है–
1) रेलवे बुकिंग,रोडवेज बुकिंग या आयकर की अग्रिम जमा राशि का रिफंड बंद कर दिया जाये। उसे भविष्य में समायोजित किया जा सकता है।
2) शासन की समस्त लेन देन ऑन लाईन सीधे बैंक खाते से या चेक द्वारा अनिवार्य कर दिया जाये।
3) निर्वाचन में वही व्यक्ति खडा हो जिसकी पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा की जाये।
4) जनप्रतिनिधि की विजय के लिए 51 प्रतिशत मत प्राप्त करना अनिवार्य किया जाय। यदि उम्मीदवार 51 प्रतिशत के कम मत प्राप्त करें तो प्रथम अधिकतम मत प्राप्तकर्ता तथा द्वितीय अधिकतम मत प्राप्तकर्ता अभ्यार्थी का पुनः मतदान द्वारा 51 प्रतिशत या अधिकतम प्राप्त करके विजयी घोषित करके उसे जनप्रतिनिधि बनाए जाये। जो कि पूर्ण 100 प्रतिशत आबादी का जनप्रतिनिधि हो।
5) जैसे ही जनप्रतिनिधि विजयी घोषित हो, उसके द्वारा अपने पद की शपथ लेने से पूर्व जिस राजनैतिक दल से निर्वाचन में खडा किया गया हो और निर्वाचित हुआ हो, उस राजनैतिक दल की प्राथमिक सदस्यता सहित उस राजनैतिक दल के सभी पदों से त्याग पत्र देने तथा राजनैतिक दल द्वारा उसे स्वीकार करके निर्वाचन आयोग को सुपुर्द किये जाने की व्यवस्था हो। इस प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त ही वह जनप्रतिनिधी के तौर पर अपने पद की शपथ ग्रहण करने योग्य हो । जो इस प्रकिया की पूर्ति निर्धारित समयावधि में नहीं करे। उसका निर्वाचन निरस्त करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को हो तथा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत को जब्त करके पुनः निर्वाचन करने का निर्वाचन आयोग को अधिकार हो।
6) मतदाता की परिभाषा में भी परिवर्तन किया जाये। प्रत्येक परिवार का चाहे किसी भी धर्म, जाति, सम्प्रदाय का हो,रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाये।

उस रजिस्टर्ड परिवार के मुखिया का क्रम आयु के आधार पर तय किया जाय। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो।

7) ऐसे पंजीकृत परिवार के मुखिया को ही मत याने वोट देने का अधिकार हो। यदि परिवार के किसी सदस्य का मत भिन्न है तो वह अपना पृथक से परिवार के तौर पर पंजीकरण करवा सकता है,लेकिन आगामी निर्वाचन तक उसका पंजीकृत परिवार पृथक ही रहेगा। यही नही उसका परिचय ,लाईट, नल आदि के बिल भी आगामी निर्वाचन तक पृथक से बनेंगे।

8) परिवार की परिभाषा प्रथम तो स्वयं परिवार द्वारा तय की जायगी कि उस परिवार में कौन कौन सदस्य होंगे तथा मुखिया का क्या क्रम रहेगा।

9) परिवार के सदस्यों व मुखिया के क्रम में विवाद का निर्णय ग्राम या नगर के वार्ड की सभा द्वारा किया जायगा।

10) ग्राम की आम सभा में स्त्री पुरुष 50 50 प्रतिशत होने आवश्यक होंगे। ग्राम सभा का मुखिया तथा उप मुखिया होंगे। उप मुखिया एक से अधिक होंगे। जिनमें से एक का काम ग्राम सभा की लिखित कार्यवाही लिखना तथा दूसरे का काम ग्राम पंचायत के मुखिया की ओर से लिखित कार्यवाही के प्रवक्ता के तौर पर कार्य करना होगा। तीसरे उप मुखिया का कार्य मुखिया की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्य सम्हालना होगा। जिससे कि ग्राम सभा। नगर वार्ड सभा की मासिक बैठक नियमित रुप से सम्पन्न हो सके।

11) ग्राम सभा का एजेण्डा ,स्थान समय, दिनांक, वार, तिथि आदि ग्राम सभा द्वारा निश्चित किये जायेंगे। एजेण्डा आदि आगामी सभा के लिए निर्धारित किये जाएगें।

12) आम सभा में परिवार के मुखिया की उपस्थिति अनिवार्य होगी।यदि मुखिया कहीं पर रोजगार करता है तो उसको वेतन भत्ते परिश्रामिक की आपूर्ति करना नौकरी, रोजगार देने वाले का दायित्व होगा। इसी प्रकार स्वयं का रोजगार होने पर ग्राम सभा को उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व होगा।

13) ग्राम, नगर, वार्ड सभा की आय का जरिया उसमें उपस्थित मुखियाओं द्वारा न्यूनतम 10 रु जमा कराना अनिवार्य होगा। जिससे सभा के सामान्य खर्चो की पूर्ति की जा सके। किसी गरीब तबके के मुखिया को अंशदान देने

से छूट देने का भी अधिकार आम सभा को होगा। लेकिन उसके लिए मुखिया द्वारा आवेदन करने के साथ ग्राम सभा की शत प्रतिशत सहमति होना अनिवार्य होगा।

14) ग्राम सभा की ही भांति नगर, वार्ड सभा की भी व्याख्या हो।

उत्तरः– आप हमारे नीति निर्धारण समिति के महत्वपूर्ण सदस्य है। स्वास्थ कारणों से आप नोयडा स्वयं न आकर आपने पत्र भेजा है। चुनाव सुधार तथा सरकार की आर्थिक लेन देन संबंधी नीतियों हमारा आज का विषय नहीं है किन्तु परिवार का मुखिया अपनी गांव की व्यवस्था से लेकर उपर के चुनाव तक मतदान करें इससे मैं व्यक्तिगत रुप से सहमत हूॅ किन्तु एक संशोधन के साथ कि उस व्यक्ति के मत गिनते समय उसकी परिवार की सदस्य संख्या को गिना जाये। हमारे विचार में ग्राम संसद के दो कार्य प्रस्तावित हैं–1 ग्राम संसद अपने गांव के संचालन संबंधी संविधान भी स्वयं बनायेगी और उसका पालन भी स्वयं करायेगी। 2 ग्राम संसद राष्ट्रीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस तरह ग्राम सभा में महिला और पुरुष की उपस्थिति किस तरह हो यह निर्णय ग्राम सभा का होगा न कि सरकार का और न ही हमारे। आपने जो सुझाव दिये है वे गंभीर है और इन पर चर्चा भविष्य में भी चलती रहेगी।

10 शिवदत्त जी बाघा,बांदा उ0प्र0

प्रश्न–नोयडा की बैठक में आने का निमंत्रण विलम्ब से मिला इसलिए नहीं आ सका फिर भी मेरा विचार है कि हर आदमी परेशान सा है। '' व्यवस्था परिवर्तनों की लम्बी श्रृंखलाएं भी आदमी की इस परेशानी को दूर करने में अब तक तो असफल ही रही हैं। भविष्य में क्या होगा कहना कठिन है। यह मेरी हताशा या नकारात्मक सोच का निष्कर्ष नहीं है बल्कि समय की तस्वीर का बयान है। लोकतंत्र की या संविधान की परिभाषा के पहले शासन सत्ता की परिभाषा अर्थ स्पष्ट करने की जरुरत है क्योंकि लगभग 2000 वर्षो से शासन सत्ता का अर्थ और उददेश्य दोनों ही बदल गये है। इसलिए जेपी जैसी सम्पूर्ण क्रांतियों के बावजूद शासन सत्ता के अर्थ खोजने में अभी तक दिक्कत बनी हुयी है और आप तथा सभी संगी साथियों को उसके अर्थ खोजने के लिए तथा उन्हें स्थापित करने के लिए प्रयास करने पड रहे है।

इसी देश में नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसे प्रयास बराबर से चलते रहते हैं पर न लोगों की परेशानी कम हो रही है और न उनके हलक से निकलने वाली चीत्कारें कम हो रही है। अगर दुनिया में शासन सत्ता का कहीं कोई वजूद होता तो दुनिया के लोगों की स्थिति ऐसी कतई न होती । अवश्य उसका उददेश्य पूरा होते कहीं न कहीं दिखता जरुर। दुनिया का कोई तो कोना शांति सुख समृद्धि का अनुभव करता। सत्ता संविधान की आड में इस धरती में कुछ और ही चल रहा है और इस सब की वजह है ईमान का अभाव। राजनीति का क्षेत्र हो या फिर धर्म का सब जगह ईमानदारी की जगह रिक्त है और ढोंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और हम किसी भी कीमत में उसे छोडना नहीं चाहते। सारी दुनिया की यही अडचन है । जिहाद का नारा भी इस अडचन से मुक्त नहीं है। अनेक ''वाद'' चलन में है पर मानववाद का कहीं कोई पैरोकार नहीं। अभी तक हम यानी दुनिया इन्सान बनने की डगर तक नहीं पकड सकी। उल्टे बसी बसायी बस्तियॉ जंगल में कोई खो जाये तो अगले दिन उसके जिंदा मिलने की उम्मीद की जा सकती है किन्तु यदि बस्ती में कोई खो जाय तो अगले दिन उसकी लाश मिलने की ही उम्मीद करनी चाहिए। अब ऐसे में भी हमारा दावा है कि हम व्यवस्था संभाले हुए है। व्यवस्था की यदि ऐसी तस्वीर है तो अव्यवस्था पर कल्पना या सोंचने की हिम्मत जुटाना ना मुमकिन है।

उत्तरः— यह सच है कि अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखे है। स्पष्ट है कि यदि कुछ सुलझ गया होता तो हम व्यवस्था परिवर्तन की दिशा को छोडकर समाज सुधार में लग गये होते। यदि हम आप सरीखे बडी संख्या में लोग इस दिशा में सकिय है तो स्पष्ट है कि समस्या बडी है और समाधान आवश्यक है। हम सब साथी सफलता की उम्मीद के साथ प्रयत्न कर रहे है। आवश्यक नहीं है कि सफलता तत्काल मिल ही जावे। किन्तु प्रयत्न जारी रखने होंगे। नोयडा सम्मेलन में एकसूत्रीय कार्यकम की योजना बनी है जिसका नाम ग्राम संसद अभियान रखा गया है। पूरी योजना इस प्रकार बनी है कि 2024 तक यह काम पूरा हो जाये। मुझे भी विश्वास है कि हमारे साथियों ने जो योजना बनाई है वह समय सीमा में सफल हो

जायेगी। मैं तो इस संबंध में सफलता की ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूॅं।

आपने वर्तमान परिस्थितियों का जो चित्र खींचा है वह यथार्थ होते हूए भी सिर्फ सूचना मात्र है। हम आप सब साथी एक दूसरे को परिस्थितियों की सूचना देते रहे यह पर्याप्त नहीं। अच्छा तो यह होगा कि हम कुछ समाधान की चर्चा करें। सब ईमानदार हो जायेंगे तो सब ठीक हो जायेगा इस तरह की बाते आप जैसे विद्वान के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूॅं कि हम सब मिलकर समाधान की चर्चा करें और उस चर्चा के आधार पर योजना भी बनावे और यदि संभव हो तो एक दूसरे की मदद भी करें।